

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(5) वित्त/राजस्व/2018

जयपुर, दिनांक-01.08.2018

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा की चयन सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त श्री बद्री लाल मीणा (अजजा) (दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत्त) को दिनांक 01.04.2014 की पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28ए के उप नियम (7) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाईम सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष।
11. संबंधित अधिकारी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)